

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
(मत्स्य निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

सं० मत्स्य निदेशक (मु०),  
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 07/7/2024

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹47.976 लाख (सैंतालीस लाख संतानवे हजार छः सौ रु०) मात्र की लागत व्यय पर केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआरों/मत्स्य पालकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-6एस०एस०(6)11/2016-2839 दिनांक-09.06.2026 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मछुआरों/मत्स्य पालकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) हेतु स्वीकृत कुल ₹47.976 लाख (सैंतालीस लाख संतानवे हजार छः सौ रु०) मात्र के अन्तर्गत कुल ₹47.976 लाख (सैंतालीस लाख संतानवे हजार छः सौ रु०) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन, (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०) विपत्र कोड-02. 2405001010319, विषयशीर्ष-0319.32.01-अंशदान मद के अंतर्गत विवक्षित किया जाएगा।
3. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- (क) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
- (ख) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
- (ग) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2027 तक अवश्य भेज दें।
- (घ) राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
4. योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं आवंटित राशि कोषागार से आहरित कर एन०एफ०डी०बी०, हैदराबाद के बैंक खाता में अंतरित किया जाएगा।
5. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।
6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।  
अनुलग्नक :-अनुलग्नक-1

विश्वासभाजन

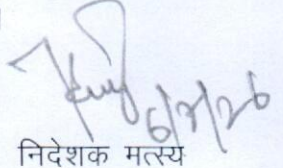
निदेशक मत्स्य



ज्ञापांक : म०/बजट-15/2026 .....14...../मत्स्य/पटना, दिनांक : .....07/7/2026...../

प्रतिलिपि : -

1. अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (संबंधित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (संबंधित)/जिला मत्स्य पदाधिकारी, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/मत्स्य निदेशालय के बजट एवं लेखा शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

  
निदेशक मत्स्य



**अनुलग्नक-I**

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0319-नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन, विपत्र कोड-02.2405001010319, विषय शीर्ष 0319.32.01-अंशदान के तहत मछुआरों/मत्स्य पालकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) हेतु आवंटन।

(राशि लाख में)

| क्र०                                            | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना हेतु स्वीकृत राशि | वर्तमान आवंटन (शत प्रतिशत) |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                 |                            | विषय शीर्ष 0319.32.01-अंशदान मद                              |                            |
| 1                                               | 2                          | 3                                                            | 4                          |
| 1                                               | निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना | 47.97600                                                     | 47.97600                   |
| (कुल सैंतालीस लाख संतानवे हजार छः सौ रू०) मात्र |                            |                                                              |                            |

निदेशक मत्स्य